इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381] भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2011—श्रावण 19, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 4901-282-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जुलाई, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०११.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०११.

[दिनांक ३० जुलाई, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १० अगस्त, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा १२९ का स्थापन. २. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा १२९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

पंचायतों की संपरीक्षा. "१२९.(१) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा की जाएगी और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक पंचायतों की संपरीक्षा का तकनीकी मार्गदर्शन करेंगे तथा उसका पर्यवेक्षण करेंगे.

(२) पंचायतों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की, वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएंगे.''.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 4902-282-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 of 2011.

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 30th July, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th August, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Substitution of Section 129.

2. For Section 129 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the following Section shall be substituted, namely :—

"Audit of Panchayats.

"129. (1) The accounts of the Panchayats shall be audited by the Director, Local Fund Audit and the Comptroller and Auditor General of India shall give technical guidelines and supervision over the audit of Panchayats.

(2) The annual audit report of Director, Local Fund Audit on Panchayats along with the annual technical inspection report of the Comptroller and Auditor General of India shall be submitted to the Governor, who shall cause the said reports to be laid on the table of the Legislative Assembly.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.